UPMP010058792022

न्यायालय **Spl Judge (EC Act), Mainpuri**

पीठासीन अधिकारी– (SMT. POONAM RAJPUT), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06104

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 5128 सन् 2022

औसाफ अली पुत्र बाबू खॉ नि० बुझिया थाना करहल जिला मैनपुरी।

बनाम

राज्य

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/ अभियुक्त औसाफ अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 533/ 2019 अन्तर्गत धारा 138 ख विद्युत अधिनियम 2003 थाना-करहल जनपद- मैनपुरी के अभियोग में आत्मसमर्पण करने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/ अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के नाम विधिवत कनेक्शन है। उस पर कोई विद्युत देय बकाया नही है। आवेदक द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र जमानत पत्र पर आख्या दी गयी कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की आख्या के अनुसार अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुण दोष पर मत व्यक्त किए जमानत का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा 20,000/ - का व्यक्तिगत वन्धपत्र तथा इसी धनराशि की एक जमानत दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 07. 10. 2022

(पूनम राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश(ई. सी. एक्ट) मैनपुरी

Digitally signed by POONAM RAJPUT
Date: 2022.10.07 14:49:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mainpuri